



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक-27.05.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध



तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभि उर्फ झण्डु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-38/18 धारा 147/148/307 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT थाना चांदीनगर बागपत ।

2-मु0अ0सं0-82/18 धारा 3/25 A. ACT थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

- 3-मु0अ0सं0-46/20 धारा 342/323/507/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0-64/20 धारा 307/308/504 भा.द.वि. थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0-164/20 धारा 2/3 गैग0 ACT थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0-92/21 धारा 452/323/504/506 भा.द.वि. थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0-227/21 धारा 504/506 भा.द.वि. थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0-463/21 धारा 392/411 भा.द.वि. थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।
- 9-मु0अ0सं0-163/23 धारा 379 भा.द.वि. थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0-20/24 धारा 379 भा.द.वि. थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 110/24 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड़ व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 / यूटी श्री सनुज कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 27.05.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैंकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते समय 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 04 सट्टा पर्ची, एक पैस व 4110 रुपये नगद बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैंकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते समय 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 04 सट्टा पर्ची, एक पैस व 4110 रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 13जी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-राजन पुत्र सुरेश निवासी पट्टी दाबडा कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मनोज पुत्र ओमपाल निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-नूरद्दीन पुत्र बुद्धू निवासी गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-रामबीर पुत्र परम सिंह निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 04 सट्टा पर्ची ।
- एक पैस व 4110 रूपये नगद ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 सचिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार पाल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 188 सुबोध कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 27.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 473/2024 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक छुरी बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी आरिज पुत्र तारिक अहमद निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत ने एक तहरीर दी कि अभियुक्त शाहिद पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत द्वारा वादी के भाई शारिब उर्फ मुनफैद की गर्दन पर छुरी से जान से मारने की नीयत से वार किया, जिसकी उपचार हेतु ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई ।



इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 473/2024 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

**नोट:-** मुकदमा उपरोक्त में बरामदा आलाकत्ल छुरी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

### **कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 473/2024 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित नामित अभियुक्त शाहिद को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक छुरी बरामद हुई है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम--**

शाहिद पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी मौ० मुगलपुरा करबा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

### **बरामदगी का विवरण--**

- घटना में प्रयुक्त एक छुरी (आलाकत्ल) ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिकर इतिहास--**

1. मु०अ०सं० 185/15 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 739/15 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3. मु०अ०सं० 394/20 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4. मु०अ०सं० 403/20 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
5. मु०अ०सं० 473/2024 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

- 1-प्र०नि० श्री राकेश कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-उ०नि० श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-है०का० 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 4-का० 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत




प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 27.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 471/2024 धारा 420/465/467/468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से गैस के 02 टैंकर, एक फर्जी नम्बर प्लेट व गाडी के फर्जी कागजात बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.05.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रमेश खतरी पुत्र चन्दन सिंह निवासी सुनहैरी बागपत अपार्टमेंट सेक्टर-13 रोहिणी दिल्ली-85 ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से अपने गैस टैंकर पर वादी के एलपीजी गैस टैंकर नं0 UP17T9688 की नम्बर प्लेट लगा रखी है, जिसका वह दुरुपयोग कर रहा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 471/2024 धारा 420/465 भादवि पंजीकृत किया गया ।



नोट:- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 471/2024 धारा 420/465/467/468/471 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त सोहनलाल को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 02 गैस टैंकर, एक फर्जी नम्बर प्लेट व गाडी के फर्जी कागजात बरामद हुए हैं।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम--

सोहनलाल पुत्र गोवर्धनलाला निवासी ग्राम सांजटा थाना सदर बाडमेर राजस्थान।

## बरामदगी का विवरण--

- 01 गैस टैंकर नं0 UP17T9688
- 01 गैस टैंकर नं0 UP17T7846
- एक फर्जी आरसी।
- एक मूल आरसी की छायाप्रति।
- एक इंश्योरेंस पोलिसी।
- एक पोल्यूशन व एक परमिट।
- एक गाडी की फिटनेस।
- एक फोर्म 47
- एक फर्जी नम्बर प्लेट।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0यू0टी श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।